

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

विषय:

जन स्वास्थ्य - वर्तमान की रक्षा करें और
खाद्य पदार्थों में मिलावट से भविष्य को सुरक्षित रखें

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड
आदेश

01/07/2024

रिपोर्ट करने योग्य

न्यायालय द्वारा:

1. इस याचिका में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दा बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली खाद्य पदार्थों में मिलावट है। भोजन जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बाजार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं और हम सभी दैनिक आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें सब्जियां, फल, दूध उत्पाद, अनाज, दालें, फलियां, कृषि उत्पाद, आदि शामिल हैं। आज, पूरी दुनिया अपनी ढेर सारी प्रतिबद्धताओं में व्यस्त है। यह इस तथ्य के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम यह पता लगाने के लिए बहुत कम समय देते हैं कि हम हर दिन जो भोजन खा रहे हैं वह स्वस्थ और सुरक्षित है या नहीं।

2. खाद्य पदार्थों में मिलावट एक तेजी से मान्यता प्राप्त वैश्विक जन स्वास्थ्य समस्या है। मिलावटी भोजन का सेवन अत्यधिक जहरीला होता है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जिसमें कुछ पोषण संबंधी कमी

रोग, गुर्दे की बीमारी और हृदय, गुर्दे, यकृत, आदि सहित व्यक्ति के अंगों की विफलता शामिल है। प्राकृतिक खाद्य उत्पादों में मिलावट या संदूषण आज के समाज में प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

3. कई रिपोर्ट और अध्ययन बताते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कैंसर जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों का कारण बन रही है। अध्ययनों से देश भर में समग्र स्वास्थ्य में गिरावट की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है, जो कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। देश में कैंसर का निदान किए गए लोगों की बढ़ती संख्या, दुनिया भर में ऐसे मामलों की सबसे तेज वृद्धि को दर्शाती है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और खाद्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार, कई खाद्य उत्पादों में मात्रा बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने के लिए मिलावट की गई है। खाद्य उत्पादों में मिलावट मिलाने का यह अभ्यास काफी आम है और पूरे देश में एक पुरानी समस्या रही है। खाद्य उत्पादों में सस्ते और घटिया पदार्थों को मिलाकर, बेईमान व्यापारी अपनी मात्रा बढ़ाते हैं और कम उत्पादन लागत पर अधिक बेचते हैं।

5. विभिन्न आंकड़ों से पता चलता है कि देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारे 20% से अधिक भोजन या तो मिलावटी हैं या घटिया हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (संक्षेप में, "एफएसएसआई") द्वारा दूध में मिलावट से संबंधित एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 70% दूध में पानी मिला हुआ था, जो सबसे आम मिलावट है। सर्वेक्षण का

आश्चर्यजनक परिणाम यह था कि डिटर्जेंट भी मिलावट में से एक पाया गया था जो एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है।

6. खाद्य उत्पादों में मिलावट मिलाने के लिए अपनाए जाने वाले कुछ सबसे आम तरीके निम्नलिखित हैं:

- (ए) फलों और सब्जियों को तेजी से पकाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाना।
- (बी) सड़े हुए फलों और सब्जियों को अच्छे वालों के साथ मिलाना।
- (सी) उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ प्राकृतिक और रासायनिक रंगों को मिलाना।
- (डी) अनाज, दालों और अन्य उत्पादों में कुचली हुई और पाउडर मिट्टी, कंकड़, पत्थर और संगमरमर के टुकड़ों को मिलाना।
- (ई) उत्पाद का वजन या प्रकृति बढ़ाने के लिए सस्ते और घटिया पदार्थों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से अच्छे वाले के साथ मिलाना।
- (एफ) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग आमतौर पर फसलों, फलों और सब्जियों के तेजी से विकास को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- (जी) भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए सीसा या पारा जैसी धातु सामग्री को मिलाया जाता है।
- (एच) लाभ और बिक्री बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों में अनधिकृत रंग, रंग और खतरनाक संरक्षक जैसे हानिकारक पदार्थों को मिलाया जाता है।

(आई) कुछ उत्पादों को उनकी समाप्ति तिथि, निर्माण तिथि या सामग्री के बारे में गलत जानकारी के साथ बेचा जाता है। यह गलत जानकारी ग्राहक के लिए खतरनाक हो सकती है, जो सटीक लेबलिंग पर निर्भर करते हैं।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट कई रूप लेती है और उनमें से प्रत्येक हमारे स्वास्थ्य और प्रत्येक जीवित प्राणी की समग्र भलाई के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करता है।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन के मौलिक अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन शामिल है। लोगों को खतरनाक और हानिकारक खाद्य पदार्थों से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत, नागरिकों के ऐसे अधिकारों को सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। खाद्य पदार्थों में मिलावट भारत के संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है जिसके द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए दंडनीय कानून बनाने और अधिनियमित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं।

8. खाद्य पदार्थों में मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 को देश में व्याप्त खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 2006 तक लागू था जब तक कि इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (संक्षेप में "2006 का अधिनियम") द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया था। 2006 का यह

अधिनियम खाद्य सुरक्षा के विनियमन के संबंध में विभिन्न पहलुओं से निपटने वाला एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम खाद्य प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (संक्षेप में, "एनबीए") द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी देता है ताकि अंशांकन प्रयोगशालाओं या खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए किसी भी मान्यता एजेंसी का परीक्षण किया जा सके। खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए जाने हैं। विश्लेषण खाद्य सुरक्षा आयोग द्वारा नियुक्त खाद्य विश्लेषकों द्वारा किया जाना है। यह अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंड और सजा का प्रावधान करता है।

9. 2006 का अधिनियम सभी समस्याओं का समाधान प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इसमें कई कमियां मौजूद हैं। 2006 के अधिनियम में असंगठित क्षेत्रों की अनदेखी की गई है। इसमें छोटे निर्माता, दुकानदार, खुदरा विक्रेता शामिल हैं जो असंगठित क्षेत्र में बहुत योगदान करते हैं। यह मुख्य रूप से प्रसंस्करण उद्योग पर जोर देता है। प्राथमिक क्षेत्र को 2006 के अधिनियम में शामिल किया गया है, लेकिन प्राथमिक भोजन का उत्पादन करने वाले कृषि क्षेत्र की अनदेखी की गई है।

10. खाद्य निर्माण और प्रसंस्करण उद्योगों की जांच करने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी है जो भोजन में स्वच्छता, गुणवत्ता, सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। खाद्य प्राधिकरण में कर्मचारियों और धन की कमी है और यह बढ़ती हुई खाद्य उद्योगों की संख्या के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। उचित तकनीक की कमी के कारण, जमीनी स्तर पर, खाद्य प्राधिकरण स्थिति की निगरानी करने में सक्षम नहीं हैं। देश के विभिन्न

राज्यों में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पादों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं के बारे में संदेह हैं।

11. केंद्र सरकार उपरोक्त स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है, यही वजह है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2020 तैयार किया, लेकिन 2020 का यह विधेयक ठंडे बस्ते में पड़ा है और इसे विधायी अधिनियम का रूप नहीं मिला है, जिसके कारण विधानमंडल को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं।

12. कानून वर्णनात्मक हैं और कानून का कार्यान्वयन अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है और समस्या इसके खराब कार्यान्वयन में निहित है। केंद्र और राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट के इस मुद्दे को गंभीरता से लें ताकि सभी मनुष्यों और जीवित प्राणियों के जीवन को बचाया जा सके, जो मिलावटी असुरक्षित भोजन के कारण गंभीर और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं।

13. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए, वर्ष 2020 में, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" शीर्षक से एक अभियान शुरू किया गया था और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जानकारी देने के लिए मुखबिर को 51,000/- रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था। यहां तक कि मुख्य सचिव की देखरेख में एक समिति भी गठित की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों, मौसम विज्ञान अधिकारियों और डेयरी प्रतिनिधियों सहित राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था। यह अभियान विशेष रूप से त्योहारों के

अवसरों पर शुरू किया गया था। सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम, नीति और योजनाओं को उनके अक्षरशः और भावना में लागू किया जाना चाहिए और उन्हें केवल अभिलेखों में कागज का एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इन अभियानों को केवल त्योहारों और विवाह के मौसमों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के हित में खाद्य पदार्थों में मिलावट की व्यापक वृद्धि को रोकने के लिए इसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

14. स्थिति का गंभीर संज्ञान लेते हुए, सभी जीवित प्राणियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाधान खोजने के लिए एक स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस याचिका को इस प्रकार दर्ज किया जाए:

स्वतः संज्ञान: विषय: "जन स्वास्थ्य – वर्तमान की रक्षा करें और खाद्य पदार्थों में मिलावट से भविष्य को सुरक्षित रखें"

बनाम

1. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य विज्ञान निदेशालय, 22, श्याम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली।
3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. कृषि विभाग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और खाद्य अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
6. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव, सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।

15. इस याचिका में शामिल मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है और बाद में केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार को भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। अंतरिम उपाय के रूप में, प्रतिवादियों को निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए जाते हैं:

- (ए) केंद्र और राज्य सरकार को 2006 के अधिनियम को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
- (बी) राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (संक्षेप में 'एसएफएसए') को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और समय की पहचान करने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की अधिक संभावना कहाँ और कब है और तदनुसार उन क्षेत्रों से नियमित आधार पर नमूने एकत्र किए जाएं।
- (सी) एसएफएसए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से सुसज्जित परीक्षण बुनियादी ढांचे और उन्हें संभालने के लिए तकनीकी व्यक्तियों से लैस हों।

- (डी) एसएफएसए और जिला अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर उत्पादों के नमूने लेने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- (ई) राज्य, जिला, शहरी और ग्रामीण स्तरों पर समय-समय पर स्नैपशॉट सारांश परीक्षण किए जाने चाहिए।
- (एफ) मुख्य सचिव और स्वास्थ्य कल्याण और खाद्य विभाग के अतिरिक्त और प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति, साथ ही संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन अधिकारियों द्वारा मिलावट को रोकने के लिए किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए किया जाएगा।
- (जी) केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और संबंधित विभागों को एक वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है जो शिकायत तंत्र के कामकाज और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगी। वेबसाइट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क विवरण और एक टोल-फ्री नंबर भी होगा।
- (एच) केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और उनके विभागों को शिकायत तंत्र विकसित करके खाद्य अधिकारियों और उनके अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुपालन और अनैतिक प्रथाओं (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए और निर्देश जारी किए जाते हैं।

(आई) सरकार द्वारा अपनी योजना "शुद्ध के लिए युद्ध" को उसके अक्षरशः और भावना में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

(जे) राज्य सरकार/खाद्य प्राधिकरण/खाद्य आयोग को एसएमएस, एफएम रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को मिलावट के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में संदेश प्रसारित करने और स्कूलों आदि में कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से बच्चों को भोजन में मिलावटी घटकों का निर्धारण करने के बारे में शिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है।

(के) खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए नियमित आधार पर किए जा रहे नमूनाकरण के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक महीने के अंत में इस न्यायालय को संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के साथ प्रस्तुत की जाए।

(एल) अगली सुनवाई की तारीखों पर प्रतिवादियों को और निर्देश जारी किए जाएंगे।

16. **जयपुर** के सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, जिसमें श्री एन.के. मालू, श्री माधव मित्रा, श्री संजय झंवर, मिस गायत्री राठौड़ और **जोधपुर** के वरिष्ठ अधिवक्ता, जिसमें श्री एम.एस. सिंघवी, श्री रवि भंसाली, डॉ. सचिन आचार्य और डॉ. विकास बालिया, बार काउंसिल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और जयपुर

और जोधपुर के बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शामिल हैं, से इस पवित्र सार्वजनिक कारण के लिए उचित कदम उठाने और उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए इस न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, तो जोधपुर के अधिवक्ताओं को वी.सी. लिंक भेजा जाए। बार के सदस्यों का भी लिखित प्रस्तुतियाँ देकर अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए स्वागत है।

17. महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री भरत व्यास और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आर.डी. रस्तोगी से भी क्रमशः राज्य और केंद्र सरकार की ओर से इस न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया जाता है। रजिस्ट्री को इस मामले को तुरंत ऊपर उल्लिखित नाम और शैली में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।

18. प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। इस आदेश की एक प्रति आज ही महाधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में आवश्यक अनुपालन के लिए दी जाए। इसी तरह, इस आदेश की एक प्रति ऊपर नामित सभी संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके ईमेल पते और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भेजी जाए।

19. रजिस्ट्री को इस मामले को 30.07.2024 को 'जनहित याचिका' का रोस्टर रखने वाली उपयुक्त खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

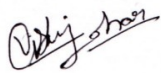
जाता है, जिसमें कारण सूची में सभी संबंधित वकीलों के नाम दिखाए जाएंगे।

20. कार्यालय को इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतरिम निर्देशों के अनुपालन के लिए सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली और मुख्य सचिव को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड),जे

सोलंकी डी.एस., पी.एस.

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़